भाग–III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2021

संख्या सा०का०नि० 16/सवि०/अनु० 309/2021.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा (संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा स्वैच्छिक राज्य शिक्षा सेवा नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 में,–

(i) उप–नियम (1) में, ''पूर्व में दी गई सेवा की गणना अन्य किसी उद्देश्य तथा परियोजन हेतु नहीं की जाएगी'' शब्दों के स्थान पर, ''पेंशन लाभों को छोड़कर, पूर्व में दी गई सेवा की गणना अन्य किसी उद्देश्य तथा परियोजन हेतु नहीं की जाएगी'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–नियम (3) तथा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबन्धों के अधीन पेंशन के हकदार होंगे, यदि प्रथम जनवरी, 2006 से पूर्व सहायताप्राप्त विद्यालय में नियुक्त हुए हैं तथा हरियाणा सहायताप्राप्त विद्यालय (विशेष पेंशन तथा अंशदायी भविष्य नीधि) नियम, 2001 के अधीन पेंशन लेने हेतु पात्र है। तथापि, प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त और आगे इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी, हरियाणा नई पेंशन स्कीम, 2008 द्वारा शासित होंगे।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कर्मचारी, सहायताप्राप्त विद्यालय में दी गई अपनी सेवा के सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायताप्राप्त विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अंशदायी भविष्य निधि/हरियाणा नई पेंशन स्कीम, 2008 में भुगतान की गई अशंदान की राशि ब्याज सहित लेने के लिए हकदार होंगे और प्रबन्धन, सम्बद्ध क्वार्टर को एक मास की अवधि के भीतर उसका भुगतान करेगा।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 6 में, खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(iii) सहायताप्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धन, क्षतिपूर्ति/सुरक्षा प्रतिभूति बॉन्ड करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे कि वे मौजूदा छात्रों के संबंध में उनकी शिक्षा पूरी होने तक फीस में वृद्धि इस आधार पर नहीं करेंगे कि इन नियमों के लागू होने पर उनके एक या उससे अधिक कर्मचारी विद्यालय छोड़ कर चले गए हैं। सहायताप्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धन को विद्यमान छात्रों के माता–पिता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद शिक्षा के माध्यम में तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से किसी अन्य बोर्ड से सम्बद्धता के ढंग में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाएगी।''।

डा० महावीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 18th August, 2021

No. G.S.R. 16/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Voluntary State Education Service Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Voluntary State Education Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Voluntary State Education Service Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 5,-

(i) in sub-rule (1), for the words "The past service rendered shall not be counted for any other intents and purposes" the words and sign "The past service rendered shall not be counted for any other intents and purposes, except pensionary benefits" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (3) and (4) the following sub-rules shall be substituted namely:-

"(3) An employee appointed under these rules shall be entitled for pension under the provisions of the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, if appointed in the aided school before the 1st January, 2006 and is eligible to get pension under the Haryana Aided Schools (Special Pension and Contributory Provident Fund) Rules, 2001. However, the employee appointed on or after the 1st January, 2006 and appointed under these rules, shall be governed by the Haryana New Pension Scheme, 2008.

(4) An employee appointed under these rules shall be entitled for the amount of contribution towards Contributory Provident Fund/Haryana New Pension Scheme, 2008 alongwith interest liable to be paid by the concerned aided school management for the service rendered in the said school and the Management shall pay the same within a period of one month to the concerned quarters."

3. In the said rules, in rule 6, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) The management of the aided schools shall commit in the indemnity/security bond not to enhance their fee with regard to the existing students till they pass out of the school on the ground that one or more of their employees have left the school ever since these rules came into force. The management of the aided schools shall be permitted to change the medium of instructions as well as mode of affiliation from the Board of School Education, Haryana to any other Board after obtaining the no objection certificate from parents of the existing students."

DR. MAHAVIR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
School Education Department.

9285—L.R.—H.G.P., Pkl.